

Ascension

Genesys Hospital, Ascension St. Mary's Hospital, Ascension Medical Group – Genesys के कवर ककए गए प्रदाता और Ascension Medical Group - St. Mary's के कवर ककए गए प्रदाता

ववत्तीय सहायता नीतत

जून 2022

नीतत/ससदंांत

इस पैराग्राफ के नीचे सूचीबद्ध संगठनों (जजनमें से प्रत्येक “संगठन” है) की नीति है कक वे संगठन के पररसरों में आपािकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्रदान करने हेिु सामाजक रूप से न्यायोचचि कायणाली सुतनश्चि करेंगे। इस नीति को खासौर पर ऐसे मरीजों की ववत्तीय सहायिा की पात्रिा को संबोधचि करने के ललए बनाया गया है जजन्हें ववत्तीय सहायिा की आवश्यकता हो और जजन्हें संगठन से देखभाल प्राप्ि होिी हो। यह नीति Ascension Mid-Michigan माके ट के भीरि आने वाले तनमन्ललखचि प्रत्येक संगठन पर लागू होिी है:

Ascension Genesys Hospital	Ascension Medical Group – Genesys
Ascension Medical Group – Genesys - PMI	Ascension Genesys Ambulatory Imaging (Ascension Genesys एम्बुलेटरी इमेजजंग)
Ascension Genesys Ambulatory Therapy (Ascension Genesys एम्बुलेटरी थेरेपी)	
Ascension St. Mary's Hospital	Ascension Medical Group – St. Mary's

1. सारी ववत्तीय सहायिा व्जतगि मानव गररमा और सबकी भलाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धिा और आदर, गरीबी में रहने वाले लोगों और अन्य कमजोर व्जतियों के ललए हमारी ववशेष ा चचि एकजुटिा , और वविरणात्मक न्याय और नेिु व के प्रति हमारी और प्रतिबद्धिा को दशायएगी।
2. यह नीति संगठन द्वारा प्रदत्त सभी आपािकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल पर लागू होिी है, जजसमें प्र्युतचि चचककत्सीय सेवाएं और व्यवहारात्मक स्वास्य शालमल है। यह नीति गैर आपािकालीन और चचककत्सीय रूप से गैर आवश्यक अन्य देखभाल के शुल्कों पर लागू नहीं होिी।
3. ववत्तीय सहायिा नीति द्वारा शालमल ककए गए प्रदािा की सूची संगठन की सुवधाओं के भीरि देखभाल प्रदािाओं की एक सूची प्रदान करिी है जो कक तनर्दयष्ट करिी है कक ककन चीजों को ववत्तीय सहायिा नीति के द्वारा कवर ककया जािा है और ककन्हें नहीं।

पररभाषाएं

इस नीति के प्रयोजनों के ललए, तनमन्ललखखि पररभाषाएं लागू होिी हैं:

- “501(r)” का अथय आंररक आय कोड की धारा (Internal Revenue Code) 501(r) और उसके अधीन प्रकालशि ककए गए तनयम।
- आपािकालीन और चककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल के संबंघ में “आमतौर पर बिल की गई रसि” या “AGB” का िात्पय ऐसी देखभाल को कवर करने वाले बीमा वाले ककसी व्यजत ि केआमौर पर बबल की गई रालश से है।
- “समुदाय” का िात्पय सामुदात्तयक स्वास््य आवश्यकिा आंकलन (Community Health Needs Assessment) में तनधररि भौगोललक सेवा क्षेत्र में रहने वाले मरीज़ों से है, इसमें तनम्र शालमल है:

<i>Ascension Mid-Michigan Community Service Area by County</i>			
Alcona	Gladwin	Midland	Shiawassee
Arenac	Gratiot	Oakland	Tuscola
Bay	Iosco	Ogemaw	
Genesee	Lapeer	Saginaw	

- मरीज़ को िब भी संगठन के समुदाय का सदस्य माना जाएगा, यर्द मरीज़ को उसके ललए जरुरी आपािकालीन और चककत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल Ascension के अन्य स्वास््य पररसर में उसे प्राप्ि होने वाली आपािकालीन और चककत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल की तनरन्िरि में प्रदान की जा रही हो, जहाँ मरीज़ को इस प्रकार की आपािकालीन और चककत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के ललए ववत्तीय सहायिा हेिु पात्र माना गया हो।
- “आपातकालीन देखभाल” का िात्पय पयायप्ि गंभीरिा (जजसमें गंभीर वेदना शालमल है) के िीर लक्षणों के रूप में प्रकट ऐसी चककत्सीय जस्थति की देखभाल से है जजसका िुरंि इलाज ना ककए जाने पर उस व्यजत ि के शरीर के कायय को गंभीर नुकसान पहुँच सकिा है, उसके ककसी भी शारीरक अंग या भाग को गंभीर रूप से नुकसान हो सकिा है, या उस व्यजत ि के स्वास््य को गंभीर खििरा हो सकिा है।
- “चिकत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल” का िात्पय ऐसी देखभाल से है जो (1) मरीज़ की जस्थति के उपयुत्ि और उसके सुसंगि हो और उसकी रोकथाम, तनदान, या इलाज के ललए आवश्यक हो; (2) मरीज़ की जस्थति के ललए सबसे उच्चि आपूािय या सेवा का स्िरि जजसे सुरक्षि रूप से प्रदान ककया जा सके ; (3) जजसे प्राथलमक रूप से मरीज़, मरीज़ के पररवार, चककत्सक या देखभालकि की सुववधा के ललए प्रदान नहीं ककया गया हो; और (4) जजससे मरीज़ को नुकसान का बजाय संभाववि रूप से लाभ ही होिा है। भववष्य की तनधररि देखभाल को “चककत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल” तनयि ककए जाने के ललए उस देखभाल को और देखभाल के समय को संगठन के मुख्य चककत्सा अचधकारी (या

पदनालमि व्‍यज्‍त () द्वारा अनुमोर्द () ककया जाना चाहए। चचककत्सीय रूप से आवश्यक देखभाल का तनधायरण मरीज़ को चचककत्सीय देखभाल प्रदान करने वाले लाइसेंसधारी प्रदा () द्वारा और, संगठन के स्वववेक के आधार पर, भी करने वाले चचककत्सक द्वारा, ररफर करने वाले चचककत्सक द्वारा, और/या मुख्य चचककत्सा अचधकारी या समीक्षा करने वाले अन्य चचककजत्सक द्वारा (सुझाई जा रही देखभाल के प्रकार के अनुसार) ककया जाना चाहए। यर्द उस देखभाल का तनवेदन इस नीति द्वारा शालमल ककए गए मरीज़ द्वारा ककया गया है, उसे ककसी समीक्षा करने वाले चचककत्सक द्वारा चचककत्सीय रूप से आवश्यक तनध () नहीं ककया गया है, () उस तनध () की पुजष्ट दाखखल करने वाले अथवा रेफर करने वाले चचककत्सक द्वारा की जानी आवश्यक है।

- “सांगठन” का () Ascension Mid-Michigan की क्षेत्रीय पररसरों और प्रदा ()ओं से है
- “मरीज़” का () ऐसे व्‍यज्‍त ()ों से हैं जजन्हें संगठन में आपा ()िकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्राप् () हो रही हो और ऐसे व्‍यज्‍त ()ों से है जो मरीज़ की देखभाल के ललए ववत्तीय रूप से जजम्मेदार हैं।

प्रदत्त ववत्तीय सहायता

इस खंड में वखण () ववत्तीय सहाय ()ा समुदाय में रहने वाले मरीज़ों ()िक सीलमि है:

1. इस ववत्तीय सहायिा नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन संघीय गरीबी स् ()िर आय (“FPL”) के 250% से कम या इसके बराबर की आय वाले मरीज़ बीमाक () द्वारा भुग ()ान, यर्द कोई हो, करने के बाद सेवाओं के स्वयं द्वारा भुग ()ान ककए जाने वाले बकाया शुल्क के ललए 100% चैररटी के पात्र होंगे, यर्द ऐसे मरीज़ को प्रकजल् ()ि (जजसका वणन नीचे पैराग्राफ 5 में ककया गया स् ()ोररग है) के अनुसार पात्र तनध () ककया जाए या यर्द वह मरीज़ के पहले डडस्चाजय बबल के बाद 240वें र्दन या इससे पहले ववत्तीय सहाय ()ा आवेदन (“आवेदन”) जमा करिा है और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोर्द () ककया जा ()ा है। यर्द मरीज़ उसके पहले डडस्चाजय बबल के 240वें र्दन के बाद आवेदन जमा करिा है, ()ो मरीज़ अचधकिम 100% ववत्तीय सहाय ()ा के ललए पात्र रहेगा, लेककन ()िब इस श्रेणी में मरीज़ के ललए उपलब्ध ववत्तीय सहाय ()ा की रालश मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी भी भुग ()ान को सम ()योजज ()ि करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया रालश ()िक ही सीलमि रहेगी। ववत्तीय सहाय ()ा की इस श्रेणी के ललए पात्र मरीज़ से गणना ककए गए AGB शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ललया जाएगा।
2. इस ववत्तीय सहाय ()ा नीत ()ि के अन्य प्रावधानों के अधीन FPL के 250% से ज्यादा लेककन 400% से कम आय वाले मरीज़ को बीमाक () द्वारा भुग ()ान, यर्द कोई हो, करने के बाद सेवाओं के स्वयं द्वारा भुग ()ान ककए जाने वाले बकाया शुल्क के ललए स्लाइडडग स्के ल छू ट () मल ग ()ि , यर्द वह

मरीज़

के पहले डडस्वाजय बबल के बाद 240वें र्दन या इससे पहले आवेदन जमा करिा है और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोर्ददि ककया जािा है। यर्द मरीज़ उसके पहले डडस्वाजय बबल के 240वें

र्दन के बाद आवेदन जमा करिा है, िो मरीज़ स्लाइडडग स्के ल छू ट की ववत्तीय सहायिा के ललए

पात्र रहेगा, लेककन िब इस श्रेणी में मरीज़ के ललए उपलब्ध ववत्तीय सहायिा की रालश मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी भी भुगिान को समायोजजि करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया रालश िक ही सीलमि रहेगी। ववत्तीय सहायिा की इस श्रेणी के ललए पात्र मरीज़ से गणना ककए गए AGB शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ललया जाएगा। स्लाइडडग स्के ल छू ट इस प्रकार है:

तनम्रसलखखत आय स्तरों वाले मरीज़:	FAP छू ट%
FPL के 251% से 275% िक	95%
FPL के 276% से 300% िक	85%
FPL के 301% से 350% िक	80%
FPL के 351% से 375% िक	75%
FPL के 376% से 400% िक	71%

3. इस ववत्तीय सहायिा नीति के अन्य प्रावधानों के अधीन FPL के 400% से ज्यादा आय वाला मरीज़, मरीज़ के कु ल चचककत्सीय कजय के आधार पर संगठन से प्राप्ि सेवाओं के ललए मरीज़ के शुल्कों में “जीवका साधन जांच” के अंगि कु छ छू ट ह्िु ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र हो सकिा है। यर्द मरीज़ का कु ल चचककत्सीय कजय बहु िि ज्यादा हो, जजसमें आपािकालीन और चचककत्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल हेिु Ascension और अन्य ककसी भी स्वास््य देखभाल प्रदािा का चचककत्सीय ऋण शालमल है, जो कक मरीज़ के पररवार की सकल आय के बराबर या उससे अचधक हो, िो ऐसा मरीज़ जीवका साधन जांच के बाद ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र होगा। रोगी के पहले डडस्वाजय बबल के बाद 240वें र्दन या इससे पहले आवेदन जमा करने और उस आवेदन को संगठन द्वारा अनुमोर्ददि ककए जाने पर जीवका साधन जांच के बाद प्रदत्त ववत्तीय सहायिा का स्िर उपरोत िि पैराग्राफ 2 के अंगि FPL के 400% की आय वाले रोगी को प्रदत्त सहायिा के बराबर होिा है। यर्द मरीज़ उसके पहले डडस्वाजय बबल के 240वें र्दन के बाद आवेदन जमा करिा है, िो मरीज़ जीवका साधन छू ट की ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र रहेगा, लेककन िब इस श्रेणी में मरीज़ के ललए उपलब्ध ववत्तीय सहायिा की रालश मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी

भी भुगतान को समायोजित करने के बाद मरीज़ की अदत्त बकाया राशि ही सीलमि रहेगी। वित्तीय सहायता की इस श्रेणी के लए पात्र मरीज़ से गणना कए गए AGB शुल्कों से ज्यादा शुल्क नहीं ललया जाएगा।

4. ऐसा संभव है कक मरीज़ उपरोक्त पैराग्राफ 1 से लेकर 3 में बखण ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र ना हो, यर्द “संपवत्त जांच” में तनधायररि हो कक मरीज़ के पास भुगिान करने के ललए पयायपि संपवत्त है। संपवत्त जांच में FAP आवेदन में मापी गई संपवत्तियों की श्रेखणयों के आधार पर मरीज़ की भुगिान करने की क्षमिा का ववशेष रूप से आंकलन ककया जािा है। ऐसा मरीज़ जजसकी संपवत्तयां उसकी FPL रालश के 250% से ज्यादा हो, िो संभवि: ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र ना रहे।
5. ववत्तीय सहायिा के ललए पात्रिा राजस्व चक्र के दौरान ककसी भी समय तनधायररि की जा सकी है और उसमें 100% चैररटी देखभाल तनधायररि करने के ललए मरीज़ के पहले डडस्वाजय बबल के बाद पहले 240 र्दनों के भीरि पयायपि बकाया रालश वाले मरीज़ के ललए प्रकजल्पि स्कोररग सजम्मललि हो सकी है, भले ही मरीज़ ने ववत्तीय सहायिा आवेदन (“FAP आवेदन”) भरकर जमा ना ककया हो। यर्द मरीज़ को FAP आवेदन भरकर जमा ककए बबना ही के वल प्रकजल्पि स्कोररग के आधार पर 100% चैररटी देखभाल प्रदान की गई हो, िो मरीज़ की ववत्तीय सहायिा की रालश की पात्रिा मरीज़ द्वारा ककए गए ककसी भी भुगिान को समायोजजि करने के बाद मरीज़ के अदत्त बकाया रालश िक सीलमि रहेगी। प्रकजल्पि स्कोररग के आधार पर पात्रिा का तनधायरण के वल देखभाल के उन प्रसंगों पर ही लागू होिा है जजसके ललए प्रकजल्पि स्कोररग की गई हो।
6. ऐसे मरीज़ के ललए, जो तनजश्चि बीमा प्लान में भाग लेिे हैं, जो संगठन को “नेटवकय -से-बाहर” माना जािा है, संगठन ववत्तीय सहायिा को कम कर सकिा है अथवा इससे इन्कार कर सकिा है, जो मरीज़ की बीमा जानकारी और अन्य उपयुत ििय और पररजस्थतियों की समीक्षा के आधार पर मरीज़ को अन्य प्रकार से उपलब्ध होगी।
7. ववत्तीय सहायिा के ललए पात्र मरीज़ों से संभवि: \$50 िक का नाममात्र का फ्लैट शुल्क ललया जाए (नीचे ववत्तीय सहायिा सह-भुगिान िालक देखें)

स्वास््य देखभाल सेवा का प्रकार	FAP सह-भुगतान
इनपेशेंट या आपािकालीन कक्ष देखभाल	\$50.00
आउटपेशेंट सजरी/ इलाज	\$25.00
आउटपेशेंट नदातनक सेवाएं	\$10.00

8. मरीज़ अस्वीकरण की सूचना प्राप्त होने के चौदह (14) कैलेंडर दिनों के भीतर संगठन में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके वित्तीय सहायता के लिए पात्रता के किसी भी अस्वीकरण के विरुद्ध अपील कर सकता है। अतिरिक्त तनधारण के लिए संगठन द्वारा सभी अपीलों की समीक्षा

की जाएगी। यदि अंतर्निहित तनणय ववत्तीय सहायिा के वपछले अस्वीकरण को स्वीकार करिा है, िो

मरीज़ को ललखखि सूचना भेजी जाएगी। मरीज़ों और पररवारों हेिु ववत्तीय सहायिा के ललए पात्रिा

के संबंध में संगठन के तनणय के ववरुद्ध अपील करने की प्रकक्रया इस प्रकार है:

- अपील के ललए तनवेदन पत्र सभी FAP आंशक अनुमोदन और पात्रिा अस्वीकरण सूचना पत्रों के साथ शालमल ककया जािा है।
- FAP पात्रिा तनधायरण ववचार का तनवेदन करने वाले मरीज़ को अपील के ललए तनवेदन पत्र को भरकर पत्र के नीचे सूचीबद्ध पि पर डाक द्वारा भेजना/पहुं चाना होगा।
- सभी अपीलो पर संगठन की ववत्तीय सहायिा अपीलस कमेटी ववचार करेगी, और कमेटी का

तनणय अपील करने वाले मरीज़ या पररवार को ललखखि में भेजा जाएगा।

ववत्तीय सहायता के सलए योग्य न होने वाले मरीज़ों के सलए अन्य सहायता

मरीज़ जो ऊपर अनसार, ववत्तीय सहायिा के ललए योग्य नहीं हैं, वे संगठन द्वारा दी जाने वाली अन्य वखणि

ककस्म की सहायिा के ललए योग्य हो सकि हैं। पूण्यिा के ललए, सहायिा के इन अन्य प्रकारों को यहाँ सूचीबद्ध ककया गया है, हालाँकक ये आवश्यकि-आधाररि नहीं हैं और ये 501(r) के अधीन नहीं हैं, लेककन इन्हें संगठन जजस समुदाय को सेवा प्रदान करिा है, उसकी सुववधा के ललए यहाँ शालमल ककया गया है।

- अबीमाकृ ि मरीज़ जो ववत्तीय सहायिा के ललए योग्य नहीं हैं उन्हें उस संगठन के ललए अचधकिम भुगिान करने वाले के ललए प्रदान की जाने वाली छू ट के आधार पर छू ट प्रदान की जाएगी। अचधकिम भुगिान करने वाले को क्षमिा या सकल राजस्व द्वारा मापी गई संगठन की आबादी का कम से कम 3% होना चाहिए। अगर कोई एक भुगिानकियाय मात्रा के इस न्यूनिम स्िर पर नहीं पहुँचिा, िो एक से अचधक भुगिानकियायों के अनुबंधों का इस प्रकार औसि ललया जाना चाहिए कक भुगिान की अवचध जजसे औसि लेने के ललए उपयोग ककया जािा है वह उस वषय के ललए संगठन के व्यापार की मात्रा का कम से कम 3% हो।
- ववत्तीय सहायिा के ललए अयोग्य अबीमाकृ ि और बीमाकृ ि मरीज़ों को ििकाल भगिान पर छू ट लमल सकि है। ििकाल भुगिान पर छू ट को ठीक वपछले पैराग्राफ अबीमाकृ िों में वखणिललए छू ट के अतिररति भी र्दया जा सकि है। का

ववत्तीय सहायता के सलए योग्य मरीज़ों के सलए प्रभार पर सीमाएं

ववत्तीय सहायिा के ललए योग्य मरीज़ों से आपाि जस्थति में और अन्य चचककत्सकीय िौर पर आवश्यक देखभाल और अन्य ककसी चचककत्सा देखभाल के ललए AGB से वृयज्तिगिि रूप से ललए जाने शुल्क से अचधक सकल प्रभार नहीं ललया जाएगा। संगठन “लुक-बैक” ववचध का इस्िेमाल करके और संगठन को दावों का

भुगतान करने वाले Medicare सेवा-होल्डिंग-शुल्क और सभी तनजी स्वास्थ्य बीमाकॉन्ट्रॉल को शालमल करके एक या अचधक AGB की गणना 501(r) के अनुसार करि है। AGB गणना का वववरण और प्रतिशि(प्रतिशों) की एक मुफ्फि प्रति संगठन की वेबसाइट से या अस्पताल के तनम्र ववभागों या कायायलयों से संपकय करके

प्राप्फि की जा सकी है: ग्राहक सेवा, ववतीय परामशदािा, के लशयर, कवर ककए गए प्रदािा का कायायलय।

ववतीय सहायता और अन्य सहायता के सलए आवेदन करना

एक मरीज़ ववतीय सहायिा के ललए प्रकजल्पि स्कोररग योग्यिा के माध्यम से या एक पूरा FAP आवेदन

जमा करने से ववतीय सहायिा के ललए आवेदन करने से योग्यिा प्राप्फि कर सकि हैं। FAP आवेदन और

FAP आवेदन के तनदेश संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या इन्हें अस्पताल के तनम्र में से ककसी भी ववभाग या कायायलय से संपकय करके प्राप्फि ककया जा सकि है: ग्राहक सेवा, ववतीय ािा, के परामशकवर ककए गए प्रदािा का कायायलय। संगठन में अबीमाकृि लशयर, व्यजति को ववतीय परामशदािाओं के साथ

Medicaid या अन्य सावजतनक सहायिा का य्क्रमों के ललए आवेदन करने के ललए काम करना होगा जजसक

ललए मरीज़ ववतीय सहायिा हेिु संभाववि रूप से पात्र माना जािा हो (प्रकजल्पि स्कोररग के माध्यम से पात्र

और अनुमोर्दति तनधपरि होने के मामलों को छोड़कर)। मरीज़ को ववतीय सहायिा देने से मना ककया जा

सकि है यर्द मरीज़ FAP आवेदन में या प्रकजल्पि स्कोररग पात्रिा प्रककया के संबंध में गलति जानकारी

प्रदान करि है, यर्द मरीज़ बीमा रालश सौपने या प्रदान की गई देखभाल के ललए भुगतान करने हेिु बाध्य बीमा कं पनी से सीधे भुगतान प्राप्फि करने के अचधकार को नकारि है, या यर्द मरीज़ Medicaid या अन्य सावजतनक सहायिा का य्क्रमों, जजसके ललए मरीज़ को ववतीय सहायिा के ललए योग्य होने हेिु संभाववि

रूप से पात्र माना गया हो (प्रकजल्पि स्कोररग के माध्यम से पात्र और अनुमोर्दति तनधपरि होने के मामलों

को छोड़कर), में आवेदन करने के ललए ववतीय परामशदािाओं के साथ काम करने से मना कर दिा है।

संगठन देखभाल के विमान मामले के ललए पात्रिा के संबंध में तनधायरण करि समय ककसी भी पात्रिा तनधायरण तिचथ से छः माह से कम की अवचध से पहले पूणय ककए गए FAP आवेदन पर ववचार कर सकि है। संगठन ककसी भी पात्रिा तनधायरण तिचथ से छः माह से ज्यादा की अवचध में

पूणय ककए गए FAP आवेदन पर ववचार नहीं करेगा।

बिसलगा ं और वसूली

भुगिान न करने की जसथति में संगठन द्वारा की जाने वाली कायवाही को एक अलग बबललग और वसूली

नीति में बियाा गया है। बबललग और वसूली नीति की एक मुफ्ति प्रति संगठन की वेबसाइट पर या अस्पिल

के तनम्र में से ककसी भी ववभाग या कायायलय से संपकय करके प्राप्ति की जा सक्तिी है: ग्राहक सेवा, ववतीय

परामशदािा, के लशयर, कवर ककए गए प्रदािा का कायायलय।

व्याख्या

ववशेष रूप से सूचि मामलों को छोड़कर सभी प्रयोज्य प्रकक्रयाओं के साथ यह नीति 501(r) के अनुसार अनुपालन हेतु अभीष्ट है और इसकी व्याख्या इस के अनुसार की जाएगी और यह नीति इसीके अनुसार लागू की जाएगी।